संख्या-39/2015/1261/सैंतीस-2-2015-1(25)/10

प्रेषक,

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-25 जून, 2015

विषयः- **आर.आई.डी.एफ.-19 में 39 भवनविहीन/जर्जर पशुचिकित्सालयों के निर्माण के लिये प्रदत्त अनुमोदन के सापेक्ष 15 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग के पत्र सं0-30/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-19/2013-14, दिनांक-15.04.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.) के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आर.आई.डी.एफ.-19 के अन्तर्गत 39 भवनविहीन/जर्जर पशुचिकित्सालयों के निर्माण के लिये प्रदत्त अनुमोदन के सापेक्ष निम्नलिखित 15 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0-498.15 लाख (रूपये चार करोड़ अठठान्नवे लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने पर जारी स्वीकृति को आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जायेगा और तदनुसार यथावश्यकता संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा:-

क्र0	पशुचिकित्सालय का नाम	जनपद का नाम	धनराशि (लाख में)
1	सदर	बरेली	33.21
2	मलिहाबाद	लखनऊ	33.21
3	सहसवान	बदायूं	33.21
4	हरदोई	रायबरेली	33.21
5	पिपरहवां	श्रावस्ती	33.21
6	रूरा	कानपुर देहात	33.21
7	रिसिया	बहराईच	33.21
8	नानपारा	बहराईच	33.21
9	सदर	बहराईच	33.21
10	बीकापुर	फैजाबाद	33.21
11	सदर	सीतापुर	33.21
12	सदर	बस्ती	33.21
13	पिरलिया नहरिया	बस्ती	33.21
14	गनेशपुर	बस्ती	33.21
15	लालगंज	बलिया	33.21
योग-			**498.15**

(रूपये चार करोड़ अठठान्नवे लाख पन्द्रह हजार मात्र)

1. प्रश्नगत कार्य हेतु 'उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)' कार्यदायी संस्था होगी, जिसे नियमानुसार अनुमन्य 12.50 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य अधिकतम छः माह की अवधि में पूर्ण हो जाये।
4. प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. अनुमोदित कार्य की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर शासन का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निर्माण कार्यों के लिए सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) आदि के निर्धारण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दि0-25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दि0-11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
11. प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में 01 प्रतिशत लेबर सेस उपकर की धनराशि श्रम विभाग को वास्तविक रूप में भुगतान की जायेगी।
12. धनराशि के आहरण/व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30.03.2015 के सुसंगत प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-15 के अधीन आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.) के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**चन्द्रकान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-39/2015/1261(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3।
7- श्रम अनुभाग-2/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in